सं0सं0–2 / परी0–जे0पी0एस0सी0–31 / 2015 – 2722

झारखंड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

225

प्रेषक,

मनोज कुमार झा,
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची, दिनांक– 26/11/15

विषय :– उपनिदेशक अभियोजन के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–3803 दिनांक 27.09.2011,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा उपनिदेशक अभियोजन के तीन पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना नियुक्ति नियमावली के साथ आयोग को प्रेषित की गई थी। प्राप्त अधियाचना एवं संशोधित नियुक्ति नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त पद हेतु साक्षात्कार दिनांक–21.11.2015 को आयोजित किया गया। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधासूची के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों के कोटिवार पैनल की अनुशंसा की जाती है :–

क्रम सं0	नाम	अनुक्रमांक	कोटि
1	श्री राजकुमार सिंह	51513	अनारक्षित
2	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह	51504	अनारक्षित
3	श्री राकेश कुमार राय	51514	अनारक्षित
4	श्री राजेश रंजन श्रीवास्तव	51509	अनारक्षित
5	श्री वेद प्रकाश	51518	अनारक्षित
6	श्री देवेन्द्रनाथ द्विवेदी	51510	अनारक्षित
7	श्री आनन्द कुमार लकड़ा	51506	अनुसूचित जनजाति

2. उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति का एक पद संसूचित किया गया था। इस पद के विरूद्ध नियमानुसार तीन नामों का पैनल संप्रेषित किया जाना है परन्तु इस कोटि में मात्र एक अभ्यर्थी ही साक्षात्कार में सम्मिलित हुए तथा साक्षात्कार बोर्ड द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार के आधार पर उनका चयन किया गया है।

3. उपर्युक्त अनुशंसित अभ्यिर्थियों के मूल आवेदन पत्र एवं अन्य पत्राचार के कागजात भी मूल रूप में संलग्न (फोल्डर) हैं।

4. अनुरोध है कि नियुक्ति प्राधिकार की हैसियत से उक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी प्रमाण, छायाचित्र एवं अन्य सभी आवश्यक तथा वांछित प्रमाणपत्रों के सम्यक जाँच तथा सत्यापन के पश्चात् ही नियुक्ति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/XI/15

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

झापांक–2 / परी0–जे0पी0एस0सी0–31 / 2015 – 2722

दिनांक– 26/11/15

प्रतिलिपि :–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/XI/15

सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।